

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलेक्टर

SDO

मुकाम

बायतु

अर्जुन सिंह कौरा

बनाम

कल्याण सिंह कौरा

किस्म मुकदमा



राजस्व आवेदन

नं

171/21

सन्

2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुमम सिंह चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/08/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	
10/08/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों</p> <p>के नोटिस तामिल मसुदा तामिल प्रेषण</p> <p>कीमत प्रमाणित करिवाही का पत्र लिख</p> <p>दोनों के मिश्रण विलय होकर आगामी</p> <p>दिनांक 07/09/2021 को पेश हो।</p>	
07/09/21	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस</p> <p>तामिल सुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभा</p> <p>गण्य। विप्रार्थी गणों का कसूर तामिल देनु उपस्थित</p> <p>जिनके विरुद्ध एडवोकेट का प्रवादी मसुदा में लाई</p> <p>जाली हो केवल वास्ते वरम पत्रावली दिनांक</p> <p>26/10/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	




26/10/2021

कमांक / वाक / 20
राजस्व आवेदन

पञ्जावली राज गाम पंचायत माध्याह्निक के
दरवाजे गर्द, जार्थी कडील उपस्थित / विप्राथीगिण पूर्व
में एकतराज है। जार्थी के माधिका की एकपक्षिय
बदल सुनी गर्द, जार्थी के माधिका काय कताप्रा
गमा की जार्थी व विप्राथीगिणो के प्यालेदारी प्येत
पाल-पाल व लेहा लेहा माथे दुए है जार्थी व
विप्राथीगिणो के प्येतो के बिच जो माठे व ठुवे
माथे दुए थे वो परमान में माधिका की वजह से
विचार गये है। जियसे जार्थी को अपने प्येत के लेहो
का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्येत के लेहो को
लेकर जार्थी व विप्राथीगिणो के मध्य एमैना तनाजा
बना रहता है जार्थी को अपने प्येत के लेहो का सही
ज्ञान करने हेतु नेप्यमबन्ती करवानी आवरप्रउ है।
इसलिए जार्थी का नेप्यमबन्ती आवेदन स्वीकार किया जाइ
नेप्यमबन्ती कोश किया जावे।

मत: जार्थी माधिका के निवेदन
पर जार्थी का नेप्यमबन्ती आवेदन स्वीकार किया
जाइ तदहिलिए बाभु को कमिशनर व सम्बन्धित
श्री० समिलेय मिरिउ को सयथउ कमिशनर निमुक्त
किया जाइ कोश किया जाइ है कि काय स्वयं या
सहायउ कमिशनर से जार्थी के प्यालेदारी प्येतो की
पक्षी नेप्यमबन्ती मोडे पर कमिशनर कुलउ जमा-
कराइर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पञ्जावली की पञ्जावली कमल शुभा टोकरा इन नम्बर
से इस को सम्बन्धित करे।


सहायक कमिक्टर
(SDO) वायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1286
राजस्व आवेदन संख्या - 171 / 2021

दिनांक:- 26/10/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अर्जुनसिंह पुत्र भीखाराम वगैरा 14 जाति पुरोहित, निवासी नौसर पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु(बाड़मेर)		1. कल्याणसिंह पुत्र भीमसिंह वगैरा 23 जाति राजपुत, नि. नौसर पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - नौसर, पटवार मण्डल - नौसर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 707/407 रकबा 0.3317 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भु. अ. नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक / वाद / 2021 / 1287 to 1291

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

- 1 तहसीलदार बायतु
- 2 पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- 3 प्रार्थी श्री अर्जुनसिंह पुत्र भीखाराम वगैरा 14
- 4 विप्रार्थी श्री कल्याणसिंह पुत्र भीमसिंह वगैरा 23
- 5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांक:- 26/10/2021

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक पत्राधिकारी
(SDO) बायतु